



मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(इस्ताक्षर) :- *md Meqsoo Roshid*

(पदनाम) :- *L.D.C.*

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की-

(हस्ताक्षर) :- *Sadhane*

(पदनाम) :-

कार्यालय :- *DSRO Panna*

तारीख :-



*Ch*  
*12/02*

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

टिप्पणी :-

इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों का निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2)

निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हैं, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करना होगी। बिहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

किसी

किसी चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने रिस्क सावधानी से की है फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख)

और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा नहीं ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नह होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

जिला निबंधन कार्यालय, पूर्णियाँ ।

ज्ञापक- 372 नि०, पूर्णियाँ दिनांक- 12-02-2019

प्रतिलिपि :-

शाखा प्रबंधक, *SB1 Panna*, *ADB Panna* शाखा कोड नं० .....

दिनांक- ..... दिनांक- *29-01-2019* के संबंध में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रसारित।

जिला अवर निबंधक,  
पूर्णियाँ।

*Ch*  
*12/02*